

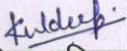
प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामिण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थयी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 500 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त मोटर मार्ग हेतु, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या : 1935/पी3-14/यू0आर0डी0ए0/13 दिनांक 07/10/2013 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट पाव की कुल आवादी 408 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषी भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषी एवं पशुपालन है परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से यहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है इस मार्ग के समरेखण में नाप भूमि 2.466 है०, सिविल सोयम भूमि 1.092 है० वन पंचायत भूमि 0.00 है० के अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि 0.00 है० प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है, तथा भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरण एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है (प्रतिलिपि संलग्न है)।

अतः 4.30 किमी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 1.092 है० प्रभावित हो रही प्रधानमन्त्री ग्रामिण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त अनुसार इस मार्ग के निर्माण में प्रभावित सिविल सोयम भूमि 1.092 है० की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है, वन भूमि की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी